डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 21/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ग्लोबल –फ्लाइट/जीएच/रायपुर/सीपी-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 21/2022-23

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 31.08.2022

सेवा	**: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**: मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 1.9.2022 से 31.3.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसआर) ने दिनांक 03.08.2022 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स बीएजीएस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम चुन लिया गया है। दिनांक 11.09.2021 के आशय पत्र (एलओआई) के खंड 5 के अनुसार विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) "जीएफएचएसआर" को 20.10.2021 को निगमित कर दिया गया है। जीएफएचएसआर 01.09.2022 से रायपुर हवाईअड्डे पर अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता है।

2. तत्पश्चात जीएफएचएसआर ने दिनांक 03.08.2022 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि उन्हें तदर्थ आधार पर प्रस्तावित टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाए:

(i) एएआई द्वारा जारी दिनांक 11.09.2021 का एलओआई संख्या एएआई/ओपीएस/जीएचएस/**16**/सी/2020/313

(ii) एसपीवी **"**ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड**"** का निगमन प्रमाणपत्र

(iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति

3. प्राधिकरण नोट करता है कि एसपीवी "जीएफएचएसआर" ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 30.06.2022 के बीसीएएस के आदेश द्वारा बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है, जो सुरक्षा अनुमति जारी करने की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की अवधि तक वैध है।

4. प्राधिकरण नोट करता है कि जीएफएचएसआर (एसपीवी) ने दिनांक 15.07.2022 को हवाईअड्डा प्रचालक के साथ रियायत करार कर लिया है, जो वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

5. प्राधिकरण जीएफएचएसआर के अनुरोध की जांच करने पर यह महसूस करता है कि नए सेवा प्रदाता द्वारा रायपुर हवाईअड्डे पर प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगेगा। प्राधिकरण इसे ध्यान में रखते हुए कि आईएसपी दिनांक 01.9.2022 से ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव कर रहा है, अंतरिम व्यवस्था के रूप में मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड को बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्वर में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड नामक ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ (देखें: दिनांक 25.03.2021 के अंतरिम आदेश संख्या 67/2020-21**,** दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 18/2021-22 और दिनांक 17.03.2022 के आदेश संख्या 46/2021-22 के साथ पठित दिनांक 14.02.2020 का आदेश संख्या 23/2019-20) **01.09.2022 से 31.03.2023 तक**, या**,** नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक**,** जो भी पहले हो**,** तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

<u>आदेश</u>

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**,** रायपुर में **संलग्नक-I** के अनुसार **01.09.2022 से 31.03.2023 तक**, या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक**,** जो भी पहले हो**,** टैरिफ तदर्थ आधार पर वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड अंतरदेशीय नॉन शेड्यूल्ड प्रचालन के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) की अंतरदेशीय नॉन शेड्यूल्ड प्रचालनों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.11.2021 के इसके पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-मोका द्वारा जारी निदेशों के अनुसार स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(iv) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी और इसमें लागू सभी कर शामिल नहीं है। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्रीमती सुनिता कुमारी, प्रबंध निदेशक,
ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड,
ओटीबी ग्राउंड फ्लोर, स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर
छत्तीसगढ, भारत – 492015

प्रतिलिपि,

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) श्री प्रवीण कुमार जैन, हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर – 492015